न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/24/18	27–09–2017	04–06–2018

1–रामौतार पुत्र श्री पतराम आयु करीब 80 साल जाति जाट निवासी ग्राम नीमलाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0(मृतक)
1/1– रामप्रकाश पुत्र स्व0 रामौतार
1/2– बाबूलाल पुत्र स्व0 रामौतार
1/3–सुखवीर पुत्र स्व0 रामौतार
1/4–तारावती पुत्र स्व0 रामौतार
1/5–सुनीता पुत्री स्व0 रामौतार
1/6–प्रेमलता पुत्री स्व0 रामौतार
1/7–शर्मिला पुत्री स्व0 रामौतार
1/8–जीतराम पुत्र सतीश
1/9–राजोदेवी पत्नी सतीश जाति समस्त जाट निवासीयान नीमलाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1– भूतेरी देवी पत्नी रामजीतसिंह
2–योगेन्द्र पुत्र रामजीतसिंह आयु करीब 12 साल नाबालिग
3–विक्रम पुत्र श्री रामजीतसिंह आयु करीब 10 साल नाबालिग जरिये माता श्रीती भूतेरीदेवी पत्नी रामजीत जाति जाट
4–रामसिंह पुत्र महाराम जाति जाट
5–अमरसिंह पुत्र महाराम जाति जाट
6–रणधीर पुत्र महाराम जाति जाट निवासीयान ग्राम नीमलाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित:–

01. श्री मूलचन्द चौधरी –वकील प्रार्थी
02. श्री जर्नादन शर्मा –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय मे विचाराधीन वाद बअनुवानी रामौतार बनाम भूतेरी को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। वकील अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.05.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बअनुवानी प्रकरण रामौतार बनाम भूतेरी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम अलवर में विचाराधीन हैं। प्रतिवादी अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है जो पीठासीन अधिकारी के निवास में आते जाते है। पीठासीन अधिकारी उनके प्रभाव मे आकर जल्दी जल्दी तारीख पेशी नियत करते है तथा तारीख पेशी 13.09.2017 से 19.09.2017, 25.09.2017, 26.09.2017 व इसके पश्चात् 29.09.2017 नियत की गई अप्रार्थीगण द्वारा गांव में ऐलानिया तौर पर कहा गहा की पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर ली है। प्रकरण का निर्णय हमारे पक्ष में ही होगा। असल अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के निवास में आते जाते देखा गया है। प्रार्थी जब पीठासीन अधिकारी से जल्दी की तारीखे पेशी नियम करने